9872

In The Court Of XV Additional Motor Accident Claims Tribunal, District Court, Bhopal

Presiding Officer: अजय श्रीवास्तव

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए समन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

(MACC/0001017/2019)

कैलाश सिंह राठौर

Vs

कप्तान यादव

Process Id- 475
पेशी दिनांक :- **16/05/2019**

प्रेषिती-

ओला फलीट टेक्नोलॉजीस प्रा० लि० द्वारा मैनेजर
बी 5 6 थर्ड फलोर प्लेटिनम प्लाटा नियर माता मंदिर
थाना टीटी नगर भोपाल.**462003**

कैलाश सिंह राठौर पिता/पति का नाम छित्तर सिंह राठौर ने आपके विरूद्ध धारा **166** मोटर यान अधिनियम **1988** के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख **16 May 2019** को दिन में **11 AM** बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप इस समन की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेजों जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर,चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों की, लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। ।

यह आज [illegible] May 2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश
अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

टिप्पणी:- साधारण एवं रजिस्टर्ड डाक सेवा द्वारा समन जारी

कृपया ध्यान दें:-

1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए और ऐसी कोई दस्तावेज पेश कराने के लिए, जिसे पेश करने के लिए साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, समन इस न्यायालय से आवेदन करके और आवश्यक खर्चों की रकम जमा करके ले सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि वाद के खर्चे के साथ उस दावे का धन न्यायालय में जमा कर दें जिससे कि डिक्री का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।
3. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

65

Scanned by CamScanner

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण भोपाल

एम0सी0सी0 कमांक:— /19

कैलाश सिंह राठौर पुत्र श्री छितर सिंह राठौर,
आयु 54 वर्ष,
निवास पता—म.नं. 16, नया बसेरा, कोटरा
सुल्तानाबाद, थाना कमला नगर, तहसील हुजुर,
जिला भोपाल (म0प्र0) पिन नं. 462003

———— आवेदक

विरुद्ध

1— कप्तान यादव पुत्र श्री कुमान सिंह
आयु 36 वर्ष,
निवासी — म.नं. 23, बड़ा मोहल्ला, बरखेड़ी,
थाना जहांगीराबाद, तहसील हुजुर,
जिला भोपाल (म.प्र.) पिन नं. 462008
(वाहन कं0 MP-04-TB-0583 का चालक)

2— ओला फ्लीट टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड,
द्वारा प्रबंधक,
निवासी — B 5/6 थर्ड फ्लोर, प्लेटीनम प्लाजा,
नियर माता मंदिर, थाना टी.टी. नगर,
भोपाल (म.प्र.) पिन नं. 462003
(वाहन कं0 MP-04-TB-0583 का स्वामी)

3— बजाज एलाइन्स जनरल इन्श्योरेंस क0 लि0
द्वारा शाखा प्रबन्धक,
शाखा कार्यालय— एच.आई.जी. 90, प्रथम तल,
शिवाजी नगर, प्रगति पेट्रोल पंप के पीछे
भोपाल (म0प्र0) पिन नं. 462011
पॉलिसी नं.— **OG-19-1701-1803-00005666**
बीमा वैधता दिनांक— 01.06.2018 से 31.05.2019 तक
(वाहन कं0 MP-04-TB-0583 की बीमा कम्पनी)

.....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988

1— यह कि आवेदक उपरोक्त निवास स्थान में अपने परिवार सहित निवास करता है। आवेदक दुर्घटना के पूर्व हष्ट—पुष्ट, स्वस्थ एवं होनहार व्यक्ति था। आवेदक दुर्घटना दिनांक 22.01.2019 को गम्भीर रुप से घायल हो गया तथा दुर्घटना में आयी चोटो के कारण स्थाई रुप से अपंग हो गया है।

2— यह कि आवेदक दिनांक 22.01.2019 को अपनी मो. सा. पर सवार होकर गैस राहत अस्पताल शुगर चैक कराने जा रहा था आवेदक जैसे ही राजभवन के पास पुराने मछली घर के सामने जहांगीराबाद भोपाल पहुंचा तभी वाहन कार कं0 MP-04-TB-0583 के चालक अनावेदक कं. 01 ने अपनी कार को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये आवेदक के वाहन में जोरदार टक्कर मार दी जिससे आवेदक वाहन सहित सडक पर गिर कर गंभीर रुप से घायल हो गया। उक्त दुर्घटना में आवेदक का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। आवेदक का प्राथमिक उपचार नर्मदा हास्पिटल भोपाल में हुआ।

VIDHAN LAW ASSOCIATES

Scanned by CamScanner

3— यह कि दुर्घटना में आवेदक गम्भीर रुप से घायल हो गया जिसमे आवेदक की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, बांये कंधे में चोट, दांये पैर में चोट, सिर में चोट इसके अलावा दोनों हाथो, दोनों पैरो व शरीर के अन्य भागों में गम्भीर अन्दरुनी व बाहरी चोटें कारित हुई। जिसके उपचार हेतु आवेदक दिनांक 22.01.2019 से 23.01.2019 तक नर्मदा हास्पिटल भोपाल में भर्ती रहा। इसके उपरान्त आवेदक पुनः दिनांक 24.01.2019 से 31.01.2019 तक नर्मदा हास्पिटल भोपाल में भर्ती रहा। आवेदक वर्तमान में भी प्रायवेट व शासकीय हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है।

4— यह कि आवेदक को आयी गम्भीर चोटों के इलाज में अभी तक लगभग 1,00,000/— रुपये से अधिक धनराशि व्यय हो चुकी हैं एवं वर्तमान में भी आवेदक का इलाज जारी है जिसमें आवेदक की भारी धनराशि व्यय हो रही है।

5— यह कि दुर्घटना वाहन कार कं0 MP-04-TB-0583 के चालक द्वारा उसके वाहन को अत्यधिक तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आवेदक के वाहन में जोरदार टक्कर मारने के कारण कारित हुयी है। घटना की रिपोर्ट किए जाने पर पुलिस थाना जहांगीराबाद के द्वारा दिनांक 22.01.2019 को अनावेदक कं0 01 के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व करके अनुसंधान प्रारंभ किया है।

6— यह कि उपरोक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना जहांगीराबाद में की गई जिसे अपराध कं0 60/19 के द्वारा अन्तर्गत धारा 279,337 का प्रकरण अनावेदक के विरुद्व पंजीबद्व किया गया। अनुसंधान उपरान्त आवेदक को गम्भीर प्राकृति की चोट होने के कारण धारा 338 भा0 द0 वि0 का इजाफा किया गया।

7— यह कि उपरोक्त दुर्घटना अनावेदक कं0 01 द्वारा वाहन कार कं0 MP-04-TB-0583 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाने के कारण कारित की गई है। दुर्घटना दिनांक को उपरोक्त वाहन अनावेदक कं0 02 के स्वामित्व का होकर अनावेदक कं0 03 बीमा कम्पनी के पास वैध रुप से बीमित था, इस कारण अनावेदकगण संयुक्तः एवं पृथक—पृथक रुप से उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि आवेदक को प्रदान करने के लिए उत्तरादायी हैं।

8— यह कि दुर्घटना से पूर्व आवेदक पूर्ण रुप से स्वस्थ था एवं 25 वी बटालियन में प्रधान आरक्षक के रूप में कार्य करता थ जिससे उसे 50,000/— रूपये की मासिक आय प्राप्त होती थी। आवेदक को आकस्मिक दुर्घटना में आयी चोटो के कारण आवेदक विकलांग होकर शारीरिक रुप से पूर्णतः अक्षम हो गया है एवं उसका वर्तमान एवं भविष्य अंधकारमय व अनिश्चित हो चुका है। आवेदक यदि स्वस्थ रहता तो भविष्य में प्रगति कर और अधिक आय प्राप्त करके अपने परिवार को और अधिक सुख सुविधाए उपलब्ध करा सकता था जिससे आवेदक व उसका परिवार वंचित हो गया है।

Scanned by CamScanner

9– यह कि आवेदक की आकस्मिक दुर्घटना हो जाने के कारण आवेदक का जीवन–यापन एवं भविष्य के खर्चे आदि के लिए वह पूर्ण रुप से उसके परिवार के अन्य लोगों पर आश्रित हो गया है इसलिए आवेदक अनावेदकगणों से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रुप से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है।

10–यह कि आवेदक को निम्नलिखित आर्थिक तथा गैर आर्थिक शीर्षकों में क्षतिधन दिलाया जाना न्यायहित में उचित होगा।

क्रं.	विवरण	क्षतिपूर्ति राशि
01	आवेदक को दुर्घटना में आई गंभीर उपहति के लिए क्षतिपूर्ति राशि।	10 लाख
02	आवेदक के इलाज के दौरान हुए खर्च हेतु क्षतिपूर्ति राशि।	05 लाख
03	आवेदक को हुई पीडा एवं दर्द के लिए क्षतिपूर्ति राशि।	05 लाख
04	आवेदक के परिजन को वेदना तथा कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति राशि।	03 लाख
05	आवेदक को यातायात, परिचारक प्रभार, विशेष आहार के लिए क्षतिपूर्ति राशि।	02 लाख
06	आवेदक को भविष्य में होने वाली आय के नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति राशि।	10 लाख
07	आवेदक को हुई अन्य आर्थिक व मानसिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति राशि।	05 लाख
	कुल क्षतिपूति राशि	40,00,000/–

11– यह कि आवेदक को अनावेदकगणों से कुल क्षतिपूर्ति राशि रुपये 40,00,000/– (चालीस लाख) 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दुर्घटना दिनांक से वसूली दिनांक तक संयुक्त एवं पृथक–पृथक रुप से दिलायी जावे।

12– यह कि आवेदक द्वारा किसी अन्य न्यायालय में कोई क्षतिपूर्ति दावा इस दुर्घटना से संबधित नहीं लगाया गया है।

13– यह कि आवेदक के साथ उपरोक्त दुर्घटना माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पुलिस थाना जहांगीराबाद में घटित हुई है इस कारण वाद को श्रवण एवं निराकरण करने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

Scanned by CamScanner

14– यह कि उपरोक्त प्रकरण में वाद–कारण दिनांक 22.01.2019 को उस समय उत्पन्न हुआ जब अनावेदक कं0 01 द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर आवेदक के वाहन में जोरदार टक्कर मार दी जिससे उसको गम्भीर चोटें कारित हुई।

15– यह कि आवेदक अपना दावा निधारित समयावधि में उचित न्यायशुल्क पर संलग्न सूची अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर रहा है जिसे श्रवण एवं निराकृत करने का अधिकार माननीय अधिकरण को प्राप्त है। आवेदन–पत्र के साथ आवेदक का शपथ–पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदक के पक्ष में एवं अनावेदकगण के विरुद्ध निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के आदेश पारित किए जावेः–

1– आवेदक को अनावेदकगणों से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रुप से रुपये 40,00,000/– (चालीस लाख) क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे।

2– आवेदक को अनावेदकगणों से उक्त क्षतिधन पर 9 प्रतिशत की दर से दुर्घटना दिनांक से वसूली दिनांक तक ब्याज दिलाया जावे एवं क्षतिपूर्ति राशि नहीं जमा करने की स्थिति में 12 प्रतिशत ब्याज की दर से वसूल किया जावे।

3– आवेदक को वाद व्यय भी दिलाया जावे।

4– अन्य कोई सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे अनावेदकगणों से दिलायी जावे।

आवेदक

प्रमाणीकरण

मैं कैलाश सिंह राठौर पुत्र श्री छितर सिंह राठौर, आयु 54 वर्ष, निवास पता–म.नं. 16, नया बसेरा, कोटरा सुल्तानाबाद, थाना कमला नगर तिहसील हुजुर, जिला भोपाल (म0प्र0) पिन नं. 462003, यह प्रमाणित करता हूं कि आवेदन–पत्र के चरण कंमाक 01 से 11 तक में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान एवं विस्वास के आधार पर एवं चरण कंमाक 12 से 15 तक में वर्णित कथन मेरे विधिक सलाहकार की सलाह अनुसार सत्य एवं सही है।

प्रमाणीकरण आज दिनांक .2019 को नगर भोपाल में किया जाकर हस्ताक्षरित किया।

Scanned by CamScanner